for the introduction of cellular phones.

(b) There has been an increasing demand for cellular phones in metropolitan cities, especially from the business community. The Department proposes to provide, in consultation with Ministry of Finance, this facility on first-come first-served basis to the registrants at a high premium in Foreign Exchange in such a manner that the premium not only finances the cost of the equipments but also generates surplus revenue which could be utilised for provision of public telephones in resettlement colonies, Jhuggi-Jhopri clusters, low income group housing societies, etc.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Communal Riots

276. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of Communal riots that took place in the country in the years 1989-90 and 1990-91 along with the names of the places of riots; the main reasons for the riots and the number of people killed/injured in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): On the basis of available information, a statement is annexed, *(See* Appendix CLIX, Annexure No. 11).

भारतीय जलपोतों की विदेशों में मरम्मत

277. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जलपोतों की मरम्मत करने की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद ये जलपोत मरम्मत आदि के लिए विदेशों में ले जाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन जलपोतों की मरम्मत पर प्रति वर्ष किये जा रहे खर्च की राशि का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और क्या सरकार विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए विद्यमान स्थानों पर जहां इन जलपोतों की मरम्मत की जा सकती है, पर्याप्त सुविधाएं व आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जहाजों की मरम्मत के लिए विदेश जाने की अनुमति निम्नलिखित कारणों से दी जाती है :-

(i) भारतीय बेड़े की जहाज-मरम्मत संबंधी संपूर्ण जरूरतें पूरा करने के लिए देश में मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ii) जो जहाज विदेश व्यापार में लगे हैं और भारतीय तट का स्पर्श नहीं करते उन जहाजों को विदेशी शिपयार्डों में मरम्मत कराने की अनुमति दी जाती है;

(iii) भारतीय मरम्मत यार्डों में जिन जहाजों की मरम्मत की जा सकती है, उनके आकार की अधिकतम सीमा 250 मी० लंबाई में और 40 मी० चौड़ाई में है और इस आकार से अधिक के किसी भी जहाज की मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़ता है; और

(iv) जो जहाज विदेशी ट्रिपों पर होते हैं और जिनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत होती है, उन्हें विदेशी